कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील / RTI / 54 / 2023

मनोज कुमार एडवोकेट पुत्र मानसिहं आर.ए.ए. कोर्ट के सामने भरतपुर।

..अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी भरतपुर

..रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 14.09.2023

मनोज कुमार एडवोकेट पुत्र मानसिहं आर.ए.ए. कोर्ट के सामने भरतपुर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यह अपील, लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी भरतपुर के विरूद्ध इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक 650 दिनांक 01.09.2023 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध कराने / नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी भरतपुर से पत्रांक पी.ए. / आरटीआई / 2023 / 2486 दिनांक 06.09.2023 से जवाब प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गय। अपीलार्थी ने दावा संख्या 297 / 08 उनवानी अनगं फौजदार बनाम जगन निर्णय दिनांक 19.01.2010 के दावा आदेश व राजीनामा की नकल चाही गई थी। उपखण्डाधिकारी भरतपुर से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया। इन्होने अपने जबाब में अंकित किया है कि चाही गई सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु उक्त दावा पत्रावली कार्यालय के रिकार्ड में तलाश करायी गई, काफी तलाशने के उपरान्त भी उक्त पत्रावली कार्यालय के रिकार्ड में उपलब्ध

जिला कलक्टर
भरतपुर

नहीं हो पाई, वांछित रिकार्ड वर्ष 2010 का लगभग 13 वर्ष पुराना है। पत्रावली दावा संख्या 297/08 उनवानी अनगं फौजदार बनाम जगन कार्यालय के रिकार्ड में उपलब्ध्य नहीं हो पाने पर, अपीलार्थी को कार्यालय के पत्रांक 1905 दिनांक 24.05.2023 से पत्रावली तलाश करने व उपलब्ध होने पर वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु अवगत कराया गया है।''

लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाव का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी के जबाव से स्पष्ट होता है कि चाही गई सूचना से सम्बन्धित पत्रावली दावा संख्या 297/08 उनवानी अनगं फौजदार बनाम जगन काफी तलाश करने के उपरान्त भी नहीं मिल पाई है, जिसे कार्यालय में राजस्व लिपिक/रिकार्ड कीपर द्वारा तलाश की जा रही है, साथ ही लोक सूचना अधिकारी द्वारा उक्त पत्रावली की तलाश हेतु जिला अभिलेखागार, किशोरी महल किला भरतपुर को भी पत्रांक 2423–2424 दिनांक 23.08.2023 से लिखा गया है। उक्त पत्रों से स्पष्ट है कि सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी भरतपुर के स्तर पर लम्बित है एवं अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नकल प्रावधानानुसार तय समय में सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, एवं लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित पत्रावली दावा संख्या 297/08 उनवानी अनगं फौजदार बनाम जगन शीघ्र तलाश कर चाही गई सूचना नियमानुसार उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) प्रेषित हो, निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी भरतपुर को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
भरतपुर